राजस्थान सरकार
कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)
"डी" ब्लॉक, द्वितीय मंजिल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

E-mail-add.gis.sipf@rajasthan.gov.in फोनः– 0141–2740219

क्रमांक : F(12)09GIS/MMPBY/CLAIM/2025-26/2358-2404 दिनांक : 10/07/2025

संयुक्त/उप/सहा निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
समस्त जिला कार्यालय

विषयः– मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं के मृत्यु दावा निस्तारण की मानक परिचालनात्मक प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की मृत्यु हो जाने के उपरांत विभिन्न स्तरों पर दावा निस्तारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में मानक परिचालनात्मक प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

- योजनान्तर्गत किसी भी बीमित पशु की प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क, दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर योजना के दिशा–निर्देशानुसार बीमा क्लेम देय होगा। पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क, दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीड़ा काटने, की स्थिति को छोड़ कर 21 दिवस के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम/दावा भुगतान का लाभ दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में बीमित पशु की मृत्यु होने की स्थिति में विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी–

1. **पशुपालक के स्तर पर :–**

- पशुपालक के बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक यथा शीघ्र इसकी सूचना ई –मित्र या योजना के एप के माध्यम से अथवा एसआईपीएफ विभाग के टोल फ्री नंबर 9240251040 एवं 9240251041 पर या ई–मेल से लिखित में एसआईपीएफ विभाग को या पशुपालन विभाग के निकटतम पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक को दे सकेगा।
- इस सूचना में जनआधार नम्बर, टैग नम्बर, पॉलिसी का विवरण, पशु की मृत्यु का समय एवं दिनांक आदि सम्मिलित होगी।
- योजना में दावा राशि का हस्तानांतरण जनाधार में दर्ज मुखिया के बैंक खाते के माध्यम से दिया जावेगा, इस हेतु सम्बन्धित पशुपालक द्वारा [illegible] ओटीपी के माध्यम से की जावेगी। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में मनोनीत [illegible] जनाधार में दर्ज बैंक खाते के माध्यम से दिया जावेगा।

Signature valid
Digitally signed by Vishwas Pareek
Designation : Additional Director
Date: 2025.07.09 17:40:04 IST
Reason: Approved

2. बेस लाईन सर्वे एजेंसी के स्तर पर :–

- पशुपालक के बीमित पशु की मृत्यु की सूचना टोल फ्री नं. या अन्य माध्यम से प्राप्त होने पर बेस लाईन सर्वे एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा दर्ज की जायेगी।
- पशुपालक से बीमित पशु के मृत्यु की सूचना पोर्टल, टोल फ्री नं. या अन्य किसी माध्यम पर प्राप्त होने पर बेस लाईन सर्वे एजेंसी का जिला समन्वयक मृत पशु का सर्वे एवं दावा रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए पोर्टल पर एजेंट/सर्वेयर को असाईन करेगा।
- सूचना प्राप्त होते ही बीमा सर्वेयर को क्लेम संबंधित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पशुपालक के घर जाना होगा।
- योजना में दावा राशि का हस्तानांतरण जनाधार में दर्ज मुखिया के बैंक खाते के माध्यम से दिया जावेगा, इस हेतु सम्बन्धित पशुपालक द्वारा पोर्टल/एप पर स्वघोषणा ओटीपी के माध्यम से की जावेगी। इस कार्य में सर्वेयर द्वारा पशुपालक का सहयोग किया जाएगा।
- क्लेम सर्वेयर पशुपालक के निवास स्थान/मृत्यु स्थान पर जाकर मृत पशु का सम्पूर्ण सर्वे करेगा तथा मृत पशु की फोटो, मूल टैग, बैंक विवरण(पशुपालक), पॉलिसी विवरण सहित समस्त सूचना प्राप्त कर योजना के मोबाईल एप/पोर्टल पर अपलोड करेगा। मृत पशु के बीमित नहीं होने की स्थिति में क्लेम सर्वेयर मोबाईल एप पर टिप्पणी कर अग्रेषित करेगा।
- बेस लाईन सर्वे एजेंसी का सर्वेयर/जिला समन्वयक मूल टैग को व्यवस्थित रूप से प्राप्त कर एसआईपीएफ विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाएगा।

3. पशुपालन विभाग के स्तर पर :–

- पशुपालक के बीमित पशु की मृत्यु की सूचना यदि पशुपालन विभाग को प्राप्त होती है तो पशुपालन विभाग के जिला समन्वयक द्वारा भी दर्ज की जा सकेगी।
- पशुपालक से बीमित पशु की मृत्यु की सूचना पोर्टल पर या पशुपालन विभाग के प्रतिनिधी को प्राप्त होने पर पशुपालन विभाग का जिला समन्वयक पोस्टमार्टम/मृत्यु प्रमाण पत्र/पंचनामा(यथास्थिति) जारी करने हेतु पोर्टल पर पशु चिकित्सक को असाईन करेगा।
- पशु चिकित्सक पशुपालक से सम्पर्क कर पशु की मृत्यु स्थान पर जाकर पशु की मृत्यु का कारण जानने के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र/पंचनामा(प्राकृतिक आपदा की स्थिति में) तैयार कर रिपोर्ट जारी करेगा। यदि प्राकृतिक आपदा में पशु की मृत्यु होने पर, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचनामा दिये जाने के आधार पर भी पशु बीमा का क्लेम दिया जा सकेगा।
- बीएसए के सर्वेयर द्वारा मृत पशु की सर्वे संबंधी कार्यवाही एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् मृत्यु दावा एप पर संबंधित पशु चिकित्सक को प्राप्त होगा। पशु चिकित्सक द्वारा योजना के मोबाईल एप पर मृत पशु का विवरण दर्ज कर पोस्टमार्टम/मृत्यु प्रमाण पत्र/पंचनामा अपलोड कर दावे को अग्रेषित करेगा।

Signature valid
Digitally signed by Vishwas Pareek
Designation : Additional Director
Date: 2025.07.09 17:40:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16239067

4. क्लेम प्रोसेसिंग एजेन्सी के स्तर पर :–

- बीमा सर्वेयर तथा पशु चिकित्सक द्वारा उक्त समस्त प्रक्रिया योजना के मोबाईल एप/पोर्टल पर प्रविष्ट करने के उपरांत उक्त दावा क्लेम प्रोसेसिंग एजेन्सी को प्राप्त होगा।
- क्लेम प्रोसेसिंग एजेंसी क्लेम प्रकरण की योजना के दिशा–निर्देशों, पॉलिसी के अनुसार जांच कर अपनी अनुशंसा के साथ एसआईपीएफ विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को अग्रेषित करेगा।
- पशुपालक मृत पशु के दावे की जानकारी क्लेम प्रोसेसिंग एजेंसी की हेल्पडेस्क से प्राप्त कर सकता हैं।

5. एसआईपीएफ विभाग के स्तर पर :–

- पशुपालक के बीमित मृत पशु की सूचना यदि एसआईपीएफ विभाग को प्राप्त होती है तो उक्त सूचना पोर्टल पर विभागीय जिलाधिकारी द्वारा भी दर्ज की जा सकेगी।
- पशुपालक से बीमित पशु के मृत्यु की सूचना एसआईपीएफ कार्यालय को सीधे प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा दर्ज की जा सकेगी।
- एसआईपीएफ विभाग का संबंधित जिला अधिकारी क्लेम प्रोसेसिंग एजेंसी की जांच के पश्चात् प्राप्त क्लेम प्रकरण को अप्रूव/रिजेक्ट या क्लेम प्रोसेसिंग एजेंसी को पुनः जांच हेतु रिवर्ट कर सकेगा।
- एसआईपीएफ विभाग द्वारा क्लेम के अप्रूव होने पर प्रकरण भुगतान हेतु अग्रेषित किया जायेगा, जिसकी सूचना पशुपालक को मोबाईल पर मैसेज द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- बीमित पशु की मृत्यु होने की स्थिति में एसआईपीएफ विभाग द्वारा दावा प्राप्त होने के 21 कार्य दिवस के भीतर दावे का निस्तारण किया जायेगा।
- बीमा विभाग के स्तर से क्लेम पारित नहीं होने या अपूर्ण दस्तावेज होने की स्थिति में पशुपालक को कारण सहित यथा समय सूचित करना होगा।

6. अपीलीय प्रावधान :–

- योजना में मृत पशु दावों के अस्वीकृति की स्थिति में पशुपालक निम्न स्तरों पर अपील कर सकता है–

1. प्रथम अपील अधिकारी– संबंधित जिला कलेक्टर
2. द्वितीय अपील अधिकारी– पशुपालन विभाग के शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव

सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न– योजना की गाईडलाइन

Signature valid

Digitally signed by Vishwas Pareek
Designation: Additional Director
Date: 2025.07.09 17:40:04 IST
Reason: Approved

क्रमांकः F(12)09GIS/MMPBY/CLAIM/2025-26/2358-2404 दिनांकः 10/07/2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
2. निदेशक पशुपालन विभाग को भेजकर निवेदन है कि आपके विभाग के जिला कार्यालयों को सूचित करने का श्रम करावें।
3. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, समस्त संभाग ,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
5. मैसर्स सूत्रा मार्केटिंग एण्ड ईवेंट एलएलपी लिमिटेड(बेस लाईन सर्वे एजेंसी) को भेजकर लेख है कि बीमित पशुओं की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर जिला समन्वयक(बीएसए) के स्तर से सर्वेयर नियुक्त करवाकर सम्बन्धित पशु चिकित्सक एवं पशुपालक से सम्पर्क कर शीघ्र सर्वे कार्य करवाना सुनिश्चित करावें।
6. मैसर्स श्रीधर इंश्योरेंस ब्रोकर प्राईवेट लिमिटेड(क्लेम प्रोसेसिंग एजेंसी), को भेजकर लेख है कि बीमित मृत पशुओं के प्राप्त दावों का पोर्टल पर शीघ्र प्रोसेस करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को भेजकर लेख है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की वेबसाईट www.mmpby.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(सिस्टम) को भेजकर लेख है कि एसआईपीएफ विभाग की वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने का श्रम करें।

Signature valid

Digitally signed by Vishwas Pareek
Designation : Additional Director
Date: 2025.07.09 17:40:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16239067

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज., जयपुर

क्रमांक :एफ.वी.25(19)पशुधन बीमा/बजट घोषणा–132/24–25/252 दिनांक : 18-12-2024

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या–132 मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की क्रियान्विति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या 132.00–पशुपालकों के हितो का ध्यान में रखतें हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ–साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अन्तर्गत प्रथमतः 5–5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5–5 लाख भेड/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंश (ऊँट) का बीमा किया जायेगा की क्रियान्विति पर सहमति प्रदान की जाती है।
2. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का संचालन SIPF विभाग द्वारा प्रारम्भ में ट्रस्ट मोड पर 01 वर्ष के लिए किया जायेगा की सहमति प्रदान की जाती है।
3. योजना को लागू करने हेतु विभागीय प्रस्तावानुसार राशि रूपये 231.84 करोड व्यय पर सहमति तथा उक्त राशि को योजना के संबंधित बजट मदो में आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।
4. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लागू करने हेतु विभागीय पात्रता एवं शर्तो (संलग्न) पर सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी संख्या 152402481 दिनांक 10.12.2024 के आधार पर जारी की जाती है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सन्तोष करोल)
शासन उप सचिव

क्रमांक :एफ.वी.25(19)पशुधन बीमा/बजट घोषणा–132/24–25/253-264 दिनांक : 18-12-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक वित्त (वजट), वित्त विभाग, राजरथान, जयपुर।
6. निदेशक, एसआइपीएफ, राज0, जयपुर।
7. आयुक्त DoIT राज, जयपुर।
8. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, डीआईपीआर, जयपुर।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, पशुपालन निदेशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक, दवा, प्रजनन एवं पशुबीमा, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
12. रक्षित पंजिका।

शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Santosh Karol
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2024.12.16 15:30:46 IST
Reason: Approved

eKaj Ref No : 12390107

"मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना"

प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-132) **"मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना"** अनुसार प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंशीय पशु (ऊंट) का बीमा करते हुये बीमा कवरेज प्रदान किया जाना है। इस योजना में 400 करोड रूपये का व्यय होगा।

उद्देश्यः-

- प्रदेश के पशुपालकों के अमूल्य पशुधन का **निःशुल्क** बीमा कर पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करवाना।
- प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंशीय पशु (ऊंट) का बीमाकर बीमा कवरेज प्रदान करवाना।
- बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर पशुपालकों को बीमा धन राशि का पुनर्भरण होने पर पशुपालक को वित्तीय हानि से बचाना तथा आर्थिक सम्बल उपलब्ध करवाना।

योजना का कार्य क्षेत्रः-सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश।

पात्रता एवं शर्तेः-

- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होगें तथा इन पशुपालको द्वारा बीमा विभाग से प्रदत App/Software में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जायेगा तथा लॉटरी लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालको के पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत राज्य के समस्त गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जायेंगा।
- योजनान्तर्गत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजिकरण करवा सकेगा। जिन पशुपालको के पशुओं की टैंगिग नही है वे अपने पशुओं के टैंग लगवाये जाने के उपरान्त ही पंजीकरण करवा सकेगें।
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनआधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/01 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- इस योजनान्तर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा करवाया जायेगा जिसका किसी अन्य पशु बीमा योजनान्तर्गत बीमा नही किया गया हो।
- **"मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना"** के अन्तर्गत पशुपालकों के देशी/संकर दूध देने वाले पशु यथा-गाय एवं भैंस, भारवाहक पशु-ऊँट/ऊँटनी एवं अन्य छोटे रोमन्थी पशु जैसे बकरी व भेड़ का **"एक वर्ष"** के लिये **निःशुल्क बीमा** किया जाना प्रस्तावित है।
- बजट घोषणा अनुसार प्रथमतः 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। भेड़ एवं बकरी की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय/भैंस एवं ऊँट के संदर्भ में एक कैटल यूनिट में 01 पशु माना जायेगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़/बकरी है तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर पशुपालक के पास उपलब्ध भेड़/बकरी का बीमा किया जा सकेगा।
- जिलों को उनके पशुओं की संख्या के आधार/अनुपात में बीमा के लक्ष्य निर्धारित किये गये है ताकि सम्पूर्ण प्रदेश के पशुपालकों को समानुपातिक व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त हो सके। किन्हीं परिस्थितियों में जिलें को आंवटित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा कर अन्य जिलों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत बीमा लक्ष्य आरक्षित रखे जायेगें। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको के नही होने पर अन्य श्रेणी के पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।
- पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जावेगा तदापि बीमा के लिये 1 कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000/- रूपये ही होगी।

• कीमत का निर्धारण:–

क्र.स.	पशु का प्रकार	बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक
1	गाय (दुधारू)	राशि रू. 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/– प्रति पशु
2	भैस (दुधारू)	राशि रू. 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/– प्रति पशु
3	बकरी (मादा)	अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
4	भेड (मादा)	अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
5	ऊंट (नर एवं मादा)	अधिकतम राशि रू. 40000 प्रति पशु
कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।		

पशु की उम्र का निर्धारण:–

क्र.स.	पशु का प्रकार	बीमा हेतु पशु की उम्र
1	गाय (दुधारू)	3 वर्ष से 12 वर्ष
2	भैस (दुधारू)	4 वर्ष से 12 वर्ष
3	बकरी (मादा)	1 वर्ष से 6 वर्ष
4	भेड (मादा)	1 वर्ष से 6 वर्ष
5	ऊंट (नर एवं मादा)	2 वर्ष से 15 वर्ष

बीमा प्रीमियम एवं व्यय:–

योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाना है। योजनान्तर्गत चयनित पशुपालक के पशु का निःशुल्क बीमा किया जाना है।

योजना का क्रियान्वयन:–

- योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाना है। तथा पशुपालन विभाग का नोडल विभाग की तरह कार्य किया जाना है।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु SIPF विभाग द्वारा बेसलाइन सर्वे एजेन्सी एवं क्लेम प्रोसेसिंग एजेन्सी नियुक्त किया जाना है।
- पशु चिकित्सक को पशु स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के लिये राशि रूपये 75/– प्रति कैटल यूनिट तथा पोस्टमार्टम हेतु राशि रूपये 150/– प्रति पशु मानदेय SIPF विभाग द्वारा दिया जावेगा।
- SIPF विभाग द्वारा योजना अन्तर्गत विभागीय पशु चिकित्सकों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद (RSVC) से रजिस्टर्ड सेवानिवृत/बेरोजगार पशु चिकित्सक की सेवाएं भी मानदेय के आधार पर ली जा सकेगी।
- SIPF विभाग द्वारा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार का कार्य इलेक्ट्रानिक मिडिया, प्रिन्ट मिडिया, बेनर, पोस्टर, पेम्पलेट आदि के माध्यम से किया जायेगा।

वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन (अनुमानित) :—अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, (साधारण बीमा निधि) जयपुर के पत्र कमांक 1860 दिनांक 18.11.2024 के अनुसार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन निम्नानुसार है:—

क्रं. स.	गतिविधि विवरण	पशुओं की संख्या एवं दर	वित्तीय आवश्यकता (राशि करोड में)
1	स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हेतु गानदेय	2100000*75	015.75
2	बेसलाईन सर्वे एजेंसी— रजिस्ट्रेशन, टेगिंग(based on data entry), Infrastructure at the district and block level, पशु चिकित्सक से समन्वय स्थापित करना, डाटा अपलोड करना, इत्यादि का व्यय	21 लाख पशु	029.62
3	टैग क्रय		000.70
4	पोस्ट मार्टम रिपोर्ट हेतु मानदेय	73500*150	001.10
5	बेसलाईन सर्वे एजेंसी— दावा रजिस्ट्रेशन	73500*150	001.10
6	क्लेम प्रोसेसिंग एजेंसी	73500 दावें	000.31
7	योजना के व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु		005.00
8	दावा भुगतान (लगभग 73500 दावे)		168.00
9	पोर्टल एवं ऐप		005.00
10	हेल्प डेस्क और टोल फ्री		000.26
11	प्रशासनिक व्यय		005.00
	कुल संभावित व्यय		231.84

नोट:— योजना अन्तर्गत व्यय होने वाली राशि का अन्तर्घटक उपयोग (Intercomponent Flexibity) किया जायेगा।

उपरोक्त गणना 12 लाख कैटल यूनिट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय एवं संभावित दरों तथा लगभग 73500 पशुओं के मृत्यु दावा (कुल पशुओं का 3.5 प्रतिशत) उत्पन्न होने की संभावना के आधार पर इस योजना में कुल व्यय 231.84 करोड रू. होना संभावित हैं। यह राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाना हैं। चूंकि योजना ट्रस्ट मोड पर संचालित किया जाना है। अतः बीमित मृत पशु की दावा राशि का भुगतान उपरोक्त संभावित व्यय में सम्मिलत है। मृत पशु की दावा राशि का भुगतान एस.आई.पी.एफ. विभाग द्वारा किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा 2024— 25 के बिन्दु संख्या 132 अनुसार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना हेतु 400.00 करोड रू. का प्रावधान किया गया हैं।

योजना के लाभ :

राज्य के गाय, भेस, भेड, बकरी व ऊँट पालक पशुपालक परिवारों के पशुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान होगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है—

योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्तेः—

- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होगें तथा इन पशुपालको द्वारा बीमा विभाग से प्रदत App/Software में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जायेगा तथा लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालको के पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा। पशुपालक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जायेगा।

- योजनान्तर्गत राज्य के समस्त गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जायेंगा।
- योजनान्तर्गत पशुपालक बीमा हेतु पशु के टैगिंग के बाद ही पंजिकरण करवा सकेगा।
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनआधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/01 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- एक केटल यूनिट पशु के अन्तर्गत एक गाय/एक भैस/10 बकरी/10 भेड/एक उष्ट्र वंश पशु शामिल होगा।

पशु बीमा करने क्री प्रक्रियाः—

1. SIPF (बीमा कंम्पनी) विभाग द्वारा पशुपालकों के पशुओं का बीमा किये जाने के लिए प्रत्येक ग्रामपंचायत / राजस्व ग्राम हेतु दिनांकवार कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना पशुपालकों को SMS या अन्य माध्यम से दी जायेगी। (SIPF &पशुपालन विभागके माध्यम से)
2. पूर्व में निर्धारित दिनांक को राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक व बीमा प्रतिनिधि द्वारा पंजीकृत पशुपालक के घर जाकर पशु बीमा से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी। SIPF & DOIT के माध्यम से पशु चिकित्सक को एक मैसेज के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
3. बीमा किये जाने वाले केटल यूनिट की बीमा राशि अधिकतम रूपये 40,000) /— केटल यूनिट होगी। पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार बीमा राशि का निर्धारण किया जायेगा।
4. बीमा प्रतिनिधि द्वारा पशुपालक के पशु/पशुओं की टैंग संख्या का मिलान आवेदन पत्र में पशुपालक द्वारा भरे गये टैंग संख्या से किया जायेगा।
5. राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक द्वारा पशु का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र जारी किया जावेगा। यह प्रमाण पत्र योजना के ऐप/पोर्टल में प्रविष्ट किया जायेगा।
6. बीमा प्रतिनिधि द्वारा कुल तीन फोटोग्राफ लिये जायेंगे। इनमें से दो फोटोग्राफ बीमा वाले पशु के होंगे (जिनमें यु. आई.डी. टैग नम्वर स्पष्ट दिखाई दे रहा हो) तथा एक फोटोग्राफ पशु का पशुपालक के साथ (जिसमें पशुपालक का जनाधार नम्बर स्पष्ट दिखाई दे रहे हो) होगा।
7. बीमा प्रतिनिधि द्वारा वीमा के समय फोटो लेने की उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पशुपालक के घर पर Geo Synchronization के माध्यम से की जावेगी, जिसमे एस.आई.पी.एफ. विभाग के माध्यम से प्राप्त Software/App पर प्रविष्टि की जायेगी।
8. बीमा प्रतिनिधि द्वारा समस्त बीमा प्रक्रिया को निर्धारित Software/App पर प्रविष्ट किये जाने हेतु Tablet /Mobile Phone का प्रयोग किया जायेगा ।

री—टैगिंग/पशु बीमा पॉलिसी के हस्तानान्तरण की प्रक्रियाः—

1. यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो उस स्थिति में पशुपालक द्वारा बीमा विभाग को यथा समय सूचित किया जायेगा तथा सूचना प्राप्त होने के 1 दिवस के भीतर बीमा विभाग द्वारा पशु का री—टैगिंग की जाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में नये टैग की प्रविष्टि की जावेगी। री—टैगिंग की स्थिति में पशुपालक को दुर्घटना जैसे आग लगने, सडक दुर्घटना, आकाशीय विजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीडा काटने की स्थिति को छोड़ कर पशुपालक द्वारा पशु की री टैंगिग हेतु बीमा विभाग को सूचित किये जाने से 7 दिवस के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम/दावा भुगतान का लाभ दिया जायेगा।

2. पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री/उपहार दिये जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जावेगी। तथा पशुपालक को दावा उत्पन्न होने की स्थिति में कोई भी लाभ देय नहीं होगा।

बीमा पॉलिसी जारी करने की प्रक्रियाः—

1. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बीमा पॉलिसी SIPF विभाग द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर/सर्वर सर्टिफिकेट से जारी होगी।
2. जारी की गई पॉलिसी का मैसेज बीमा विभाग द्वारा पशुपालक के मोबाईल नम्बर पर भेजा जायेगा। जिसमें बीमा पॉलिसी का लिंक भी उपलब्ध होगा।

बीमा क्लेम प्राप्त करने की प्रक्रियाः–

1. योजनान्तर्गत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सडक दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीडा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु हाने पर बीमा क्लेम मिलेगा। पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगने, सडक दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीडा काटने की स्थिति को छोड़ कर 21 दिवस के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम / दावा भुगतान का लाभ दिया जायेगा।
2. पशुपालक के बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक यथा शीघ्र इसकी सूचना ई–मित्र या अन्य किसी माध्यम से SIPF विभाग के बीमा सॉफ्वेयर पर अथवा SIPF विभाग द्वारा निर्धारित फोन नम्बर पर मैसेज अथवा किसी भी माध्यम से SIPF विभाग के टोल फ्री नंबर पर या ई–मेल से या लिखित में बीमा कंपनी को या पशुपालन विभाग के निकटतम पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक को दे सकेगा।
3. SIPF विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होते ही बीमा सर्वेयर को क्लेम संबंधित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पशुपालक के घर जाना होगा।
4. बीमा सर्वेयर मृत बीमित पशु की Geo Synchronization के माध्यम से फोटो लेकर SIPF विभाग के Software/App पर प्रविष्टि करेगा।
5. मृत पशु का पोस्टमार्टम निकटतम पशुचिकित्सालय में पदस्थापित पशुचिकित्सक द्वारा किया जावेगा।
6. प्राकृतिक आपदा में पशु की मृत्यु होने एवं पोस्टमार्टम नहीं हो सकने की स्थिति में ही पोस्टमार्टम प्रमाणपत्र यथा स्थान पर पंचनामा दिये जाने के आधार पर भी पशु बीमा का क्लेम दिया जा सकेगा।
7. बीमा प्रतिनिधी तथा पशु चिकित्सक द्वारा उक्त समस्त प्रक्रिया निर्धारित Software /App में प्रविष्ट कर क्लेम के लिये द्वारा ऑटोमोड से बीमा कंपनी को प्रकरण भिजवाया जावेगा।
8. दावा प्रपत्र के साथ समस्त दस्तावेज यथा मूल बीमा पॉलिसी, सूचना का विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट / पंचनामा (प्राकृतिक आपदा की स्थिति में) बैंक खाते का विवरण, मृत पशु का फोटो आदि संलग्न कर बीमा प्रतिनिधि द्वारा पॉर्टल पर अपलोड करना होगा। बीमा प्रतिनिधि द्वारा मृत पशु का टैग बीमा कंपनी को भौतिक रूप से दिया जाना होगा।
9. बीमित पशु की मृत्यु होने की स्थिति में बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर पशुपालक के दावे का निस्तारण कर इसकी सूचना विभागीय पोर्टल पर अपडेट की जायेगी।दावा भुगतान की जानकारी हेतु एक मैसेज पशुपालक के मोबाईल नम्बर पर प्रेषित किया जायेगा।
10. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की समस्त बीमा प्रक्रिया हेतु एक Software/App SIPF विभाग द्वारा विकसित करवाया जायेगा जिस पर बीमा प्रक्रिया की सम्पूर्ण प्रविष्टियॉ बीमा प्रतिनिधि द्वारा की जावेगी। इस Software/App पर बीमा संबंधित समस्त कार्यवाही की रियल टाईम मॉनिटरिंग डेश बोर्ड के माध्यम से की जा जायेगी।
11. बीमा विभाग के स्तर से पशु बीमा का क्लेम पारित नहीं होने या अपूर्ण दस्तावेज होने की स्थिति में भी पशुपालक को कारण सहित यथा समय सूचित करना होगा।

पशुपालन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के बीमा संबंधित दायित्व

I. संयुक्त निदेशक कार्यालयः–

- संयुक्त निदेशक कार्यालय में बीमा संबंधित सभी प्रक्रियाओं हेतु एक नोडल अधिकारी को नामित किया जायेगा। जो कि योजना का पर्यवेक्षण करेगा।
- विभाग द्वारा दिये गये कार्यक्रम विवरण अनुसार ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम के निकिटतम पशु चिकित्सालय के पशुचिकित्सक अथवा राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक को नामित किया जायेगा तथा इसकी सूचना बीमा विभाग को दी जायेगी।
- जिला स्तर पर बीमा से सम्बंधित समस्त शिकायतों का निवारण करवाया जायेगा।
- बीमा विभाग द्वारा किसी पशु का दावा खारिज करने की स्थिति में पशु पालक द्वारा प्रथम अपील किये जाने पर बीमा विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रकरण निस्तारण 07 दिवस में किया जायेगा।
- संयुक्त निदेशक कार्यालय में बीमा संबंधित समस्त रिकॉर्ड विधानसभा, पंचायत समिति तहसील स्तर पर डाटा का संधारण किया जायेगा तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

2. अतिरिक्त निदेशक कार्यालयः–

संभाग स्तर के समस्त जिलों की बीमा संबंधित सभी प्रक्रियाओं की मोनिटरिंग की जायेगी।

3. निदेशालय स्तर परः–

- योजना का संचालन बीमा विभाग द्वारा ट्रस्ट मोड पर किया जायेगा।
- वित्त विभाग के निर्देशानुर बीमा विभाग को अग्रिम राशि का भुगतान किया जायेगा। जिसका लेखा रिकॉर्ड पृथक से संधारित किया जायेगा। बीमा विभाग को किये गये भुगतान की यू.सी. प्राप्त की जायेगी।
- निदेशालय स्तर से राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी मनोनित किये जायेंगे।
- योजना का राज्य स्तर पर प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण तैयार कर प्रशासनिक विभाग को भिजवाना। वित्त विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा बीमा विभाग से समन्वय स्थापित कर योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को दिलवाना।
- जिला/संभाग स्तर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर योजना के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान करना/संशोधित दिशा–निर्देश जारी करना।

बीमा कम्पनी (SIPF) का दायित्वः–

- Base Line Survey Agency/Service Provider Agency का चयन एवं कार्यादेश
- बीमा पॉलिसी SIPF विभाग द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर/सर्वर सर्टिफिकेट से जारी किया जाना।
- समस्त बीमा प्रक्रिया हेतु एक Software/App SIPF द्वारा विकसित करवाया जाना।
- राज्य के समस्त पशु चिकित्सकों की एस.एस.ओ आई.डी एवं अन्य विवरण राजकाज के माध्यम से Fetch करवाना।
- दावा निस्तारण हेतु क्लेम प्रोसेसिंग एजेंसी का चयन एवं कार्यादेश।
- आवश्यकतानुसार ईयर टैग का क्रय एवं वितरण।
- योजना का प्रचार प्रसार SIPF विभाग द्वारा किया जायेगा।
- योजना में आवश्यकतानुसार SIPF विभाग अपने स्तर से पशुचिकित्सक/कंसल्टेंट की सेवाऐं ले सकेगा।
- SIPF विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु टोल फ्री नंबर (बीमा करवाये जाने हेतु एवं दावा निस्तारण हेतु) एवं ई–मेल प्रदान करना।
- पशु बीमा अन्तर्गत मृत पशुओं की दावा राशि का भुगतान।
- पशुपालन विभाग से प्राप्त राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र देना।
- योजना की भौतिक प्रगति एवं लेखों का संधारण।

दावा निस्तारण के प्रकरणों में प्राप्त शिकायतों की अपील का निस्तारण

1. प्रथम अपील अधिकारी–जिला कलेक्टर
2. द्वितीय अपील– पशुपालन विभाग के शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव

शासन उप सचिव

Document certified by SANTOSH KAROL <dsahraj@gmail.com>.

Digitally Signed by Santosh Karol
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :18-12-2024 03:38:55